ACM आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

पूरण बनाम [illegible] [illegible]

...ालय 72

...ा 81/25

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	...
23/1/26	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ~~23/~~ 3/2/26 को पेश हो।	
3/2/26	पत्रावली प्रस्तुत। प.क. उप.। उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 12/02/2026 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
12/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत। प.क. उप.। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया। ~~प्रा.पत्र~~ कि वे प्रार्थी के कब्जे-काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे, रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:37:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 81/2025 प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 04.07.2025

1. पूरण पुत्र चौथू
2. हरी पुत्र चौथू

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सुदर्शनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर

......प्रार्थीगण

बनाम

1. भगवान सहाय पुत्र कानाराम
2. सुरेश कुमार पुत्र कानाराम
3. दिनेश कुमार पुत्र हरिनारायण
4. नन्दलाल पुत्र कालू
5. प्रभाती देवी पत्नी हरिनारायण
6. बोदूराम पुत्र सेडूराम
7. रतन लाल पुत्र हरिनारायण
8. सुरजमल पुत्र कालू
9. हरदेव सिंह पुत्र कालू
10. रूकमणी देवी पत्नी कल्याण सहाय

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सुदर्शनपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर।

....अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 12.02.2026

उपस्थिति :–

1. श्री मोहनलाल जाट – अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री कैलाश बागडा – अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ग्राम सुदर्शनपुरा तहसील जालसू स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 298 रकबा 1.5600 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर निरंतर कृषि कार्य करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण का आरोप है कि अप्रार्थीगण, जिनकी भूमि प्रार्थीगण की भूमि के लगती हुई है, वे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण करने की नीयत रखते हैं। दिनांक 01–07–2025 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन घुसकर बुवाई–जुताई करने की कोशिश की और बेदखल करने की धमकी दी। प्रार्थीगण का कथन है कि यदि उन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा का संरक्षण नहीं मिला तो अप्रार्थीगण बाहुबल के आधार पर उन्हें उनकी वैधानिक भूमि से बेदखल कर देंगे, जिससे उन्हें अपूरणीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:37:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

क्षति होगी । प्रार्थीगण ने अपने समर्थन में जमाबंदी (खतौनी) प्रस्तुत की है। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 10 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनांक 11.09.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थीगण के कथनों का खंडन किया है। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है । अप्रार्थीगण का मुख्य बचाव यह है कि राजस्व रिकॉर्ड में भले ही प्रार्थीगण का नाम हो, लेकिन मौका स्थिति पर उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण (मिनजुमला) का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है । उन्होंने 01–07–2025 की घटना को मनगढ़ंत बताया है । उनका कहना है कि प्रार्थीगण स्थगन आदेश की आड़ में अप्रार्थीगण को उनके पुराने कब्जे से बेदखल करना चाहते हैं ।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु न्यायालय को मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर विचार करना होता है: (1) प्रथम दृष्ट्या मामला (Prima Facie Case), (2) सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience), और (3) अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss)।

1. प्रथम दृष्ट्या मामला: पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी (संवत 2076–2079), के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 298, रकबा 1.5600 हैक्टेयर पर प्रार्थीगण (1. पूरण पुत्र चौथू, 2. हरी पुत्र चौथू) का नाम बतौर 'खातेदार' दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 140 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टियों को सही मानने की उपधारणा (Presumption of Truth) है, जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा गलत साबित न कर दिया जाए। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम है, परन्तु उसे 'फर्जी' बताया है । यह तथ्य कि रिकॉर्ड सही है या फर्जी, साक्ष्य (Evidence) का विषय है जो मूल वाद (Trial) के दौरान तय होगा। वर्तमान चरण में, राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

2. सुविधा का संतुलन एवं 3. अपूरणीय क्षति: चूंकि प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार हैं, कानूनन कब्जा भी खातेदार का ही माना जाता है जब तक कि विपरीत साबित न हो। यदि इस स्तर पर अप्रार्थीगण को हस्तक्षेप करने से नहीं रोका गया, तो एक रिकॉर्डेड खातेदार को अपनी भूमि के उपभोग से वंचित होना पड़ेगा, जिससे उन्हें अपूरणीय क्षति कारित होगी।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:37:02 IST
Reason: Self Attested

न्याय हित में यह आवश्यक है कि जब तक अधिकारों का अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता, मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे और राजस्व रिकॉर्ड को सम्मान दिया जाए।

:: निष्कर्ष एवं आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं अथवा अपने नौकर, एजेंट या अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से, वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 298, रकबा 1.5600 हैक्टेयर स्थित ग्राम सुदर्शनपुरा, तहसील जालसू में प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे व काश्त में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाऐ रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखित दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.04.02 14:37:02 IST
Reason: SelfAttested